ईमेल / डाक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.3(3)(3) रोल / निर्वा. / 2013 / 2544 जयपुर, दिनांक : 11/3/14

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान ।

विषयः– लोकसभा आम चुनाव 2014 – विलोपन एवं संशोधन की सूचना अनुबंधित फर्मों को भेजने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य के सभी 200 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का दिनांक 10 फरवरी, 2014 को प्रकाशन किया गया था। इस तिथि के बाद मतदाता सूची के क्रम में निरन्तर अध्ययतन की प्रकिया प्रारम्भ हो गयी है।

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2014 को लोकसभा आम चुनाव 2014 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसलिए आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि तक राज्य के जिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निरन्तर अध्ययतन की प्रक्रिया के अन्तर्गत विलोपन एवं संशोधन से संबंधित जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए है और जिनका निस्तारण दिनांक 5 मार्च, 2014 तक कर दिया गया है, की सूचियां अविलम्ब अपने जिले से संबंधित अनुबंधित फर्म को ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि पूरक–2 के विलोपन एवं संशोधन का पार्ट शीघ्र मुद्रित कराया जा सकें। यदि किसी विधानसभा निर्वाचन में हटाये गये मतदाताओं या संशोधन किये गये मतदाताओं की सख्यां शून्य भी हो तो वह भी सूचना विभाग एवं फर्म को प्रेषित करें। इस तिथि तक लम्बित या बाद में फार्म 7, 8 एवं 8A में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नहीं किया जाए। इन्हें फिलहाल पैंडिंग रखा जाए। दिनांक 10.2.2014 के पश्चात् निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया में अन्तरित मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने की प्रक्रिया नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि तक जारी रहेगी। इसके लिए नाम निर्देशन की अंतिम तिथि से 10 दिवस पूर्व प्राप्त आवेदनों का निस्तारण नाम निर्देशन की अंतिम तिथि तक कर पूरक–2 का परिवर्धन पार्ट तैयार करा लें। पूरक–2 के परिवर्धन पार्ट में सम्मिलित मतदाताओं को EPIC भी तैयार कराने होंगे। अतः कार्य इकठ्ठा नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही 50 या अधिक मतदाताओं के नाम जुड़े, सूचियां एवं फार्म सम्भावित फर्मो को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की सख्ती से पालना की जाए।

भवदीय,
10/3
(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर